



# **TODAY'S ANALYSIS**

## **(आज का विश्लेषण)**

### **(12 July 2024)**

#### **Sources:**

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

#### **Important News:**

- 'अपर सियांग' जलविद्युत परियोजना: चीन के 'वॉटर वॉर' रणनीति को भारत का जवाब
- विड़िंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ने पहली मदरशिप का स्वागत किया
- 'शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद' को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा विधेयक पेश

#### **ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## ‘अपर सियांग’ जलविद्युत परियोजना: चीन के ‘वॉटर वॉर’ रणनीति को भारत का जवाब

### चर्चा में क्यों है?

- अरुणाचल प्रदेश के दो बांध विरोधी कार्यकर्ताओं को 8 जुलाई को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के राज्य दौरे से पहले एहतियातन हिरासत में रखा गया है। पुलिस ने दावा किया कि



उन्हें रिपोर्ट मिली है कि दोनों "सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं"।

- हालांकि, कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे केवल प्रस्तावित अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में मंत्री को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे।

#### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## अपर सियांग परियोजना क्या है?

- अपर सियांग परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी (ब्रह्मपुत्र नदी) पर प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है।



- सियांग तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, जहाँ इसे त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नमचा बरवा चोटी के चारों ओर एक छोड़े की नाल के आकार का मोड़ बनाने से पहले 1,000 किलोमीटर से अधिक पूर्व की ओर जाती है, और सियांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे की ओर, असम में, नदी ब्रह्मपुत्र बन जाती है।
- उल्लेखनीय है कि 2017 में, सरकार ने पहले से नियोजित 5,500 मेगावाट की सियांग अपर स्टेज-I और 3,750 मेगावाट की सियांग अपर स्टेज-II जलविद्युत परियोजनाओं को उच्च क्षमता वाली एकल, बहुउद्देशीय परियोजना - उपर्युक्त 'अपर सियांग' परियोजना से बदलने का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम

### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



(NHPC) द्वारा निर्मित की जाने वाली इस परियोजना में 300 मीटर ऊँचा बाँध बनाया जाएगा, जो पूरा होने पर उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा बांध होगा।

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की नवंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, सियांग नदी बेसिन में 29 जलविद्युत परियोजनाएँ (25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली) हैं, जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता 18,326 मेगावाट है। प्रस्तावित अपर सियांग परियोजना की स्थापित क्षमता इस आंकड़े का लगभग 60% है।
- लेकिन इसकी जलविद्युत क्षमता से कहीं अधिक, इस बांध को त्सांगपो पर चीन की जलविद्युत परियोजनाओं का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में पेश किया जा रहा है।

### अपर सियांग परियोजना रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है?

- चीन ने अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 30 किमी दूर मेडोग में यारलुंग त्सांगपो, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है, पर 60,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
- ऐसी खबरें आई हैं कि चीन ने 1,000 किमी नहर का निर्माण करके दक्षिण-उत्तर डायवर्जन परियोजना के निर्माण के जरिए यारलुंग नदी को मोड़ने की योजना बनाई



है। इसके लिए सुपर डैम की स्थापना की जाएगी जिसकी क्षमता दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत स्टेशन - चीन के हुबेई प्रांत में यांग्त्ज़ी नदी पर श्री गॉर्जेस डैम की लगभग तीन गुना है।

- चूंकि अरुणाचल और असम दोनों में लोग अपनी रोजमर्रा की पानी की जरूरतों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत अधिक निर्भर हैं, इसलिए लीन सीजन के प्रवाह को मोड़ने से उनके दिन-प्रतिदिन के जीवन और क्षेत्र की वनस्पतियों, जीवों और नदी पारिस्थितिकी पर असर पड़ेगा।
- ग्रेट बेंड परियोजना में चीन द्वारा बड़ी मात्रा में जल भंडारण अरुणाचल प्रदेश और असम में मानसून के दौरान कृत्रिम बाढ़ का कारण भी बन सकता है।
- ऐसे में ऊपरी तटवर्ती पड़ोसी से खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से, जलाशय में बड़े जल भंडारण के साथ ऊपरी सियांग जलविद्युत परियोजना (एचईपी) का निर्माण, नदी को कम वर्षा वाले मौसम के दौरान जीवित रखेगा और ग्रेट बेंड परियोजना के निर्माण के बाद बाढ़ के पानी के रिसाव को भी अवशोषित करेगा।
- एक अनुमान के अनुसार अपर सियांग परियोजना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कुल नौ अरब क्यूबिक मीटर पानी की स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती है। इसका

**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



इस्तेमाल भविष्य में चीन की तरफ से पानी आपूर्ति में बाधा डालने की स्थिति में की जा सकती है।

### युद्ध हथियार की तरह हो सकता है पानी का इस्तेमाल:

- चीन ने पूर्व में ऐसे संकेत दिया है कि वह पानी का इस्तेमाल युद्ध हथियारों की तरह कर सकता है।
- वर्ष 2017 में डोकलाम तनाव के बाद चीन ने भारत के साथ ब्रह्मपुत्र नदी से पानी से जुड़ी सूचनाओं को साझा नहीं किया था।

### इस परियोजना से जुड़े पर्यावरण, सामाजिक सरोकार:

- तीन बांध विरोधी संगठनों - सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम, दिबांग रेजिस्टेंस और नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स - ने खट्टर को जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
- ज्ञापन में कहा गया है, "अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही कई बांध हैं और हमारी नदियों ने वर्षों से जलविद्युत परियोजनाओं का बोझ उठाया है। प्रस्तावित सियांग मेगा बांध हमारे पैतृक निवास को खतरे में डालता है, जो नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव आवास और जैव विविधता को आश्रय देता है।"

#### ADDRESS:



- कार्यकर्ता उन समुदायों के बारे में भी चिंतित हैं जो इस परियोजना के कारण विस्थापित होंगे, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे अदी जनजाति के 300 से अधिक गांव जलमग्न हो जाएंगे, जिसमें यिंगकिओंग का ऊपरी सियांग जिला मुख्यालय भी शामिल है।
- हालांकि अधिकारी परियोजना के लिए समर्थन जुटाने के लिए जिले में व्यापक जन संपर्क अभियान शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। एनएचपीसी ने 325 करोड़ रुपये के सीएसआर पैकेज को मंजूरी दी है जिसका उपयोग आजीविका योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। इन गतिविधियों के लिए समझौता ज्ञापनों पर वर्तमान में हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## विड्जिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ने पहली मदरशिप का स्वागत किया:

### परिचय:

- भारत के पहले गहरे पानी के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, विड्जिनजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह को 11 जुलाई को अपना पहला मदरशिप प्राप्त हुआ।



2,000 कंटेनर ले जाने वाले एमवी

सैन फर्नाडो का बंदरगाह पर भव्य स्वागत किया गया। जहाज का बंदरगाह पर लगना, बंदरगाह पर वाणिज्यिक संचालन के लिए खुलने से पहले एक ट्रायल रन का हिस्सा था।

- उल्लेखनीय है कि मदरशिप एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल बड़े जहाज या पोत को वर्णित करने के लिए किया जाता है जो छोटे जहाजों या संचालन के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। यह बड़े कंटेनर ले जाता है जिन्हें फिर दूसरे जहाजों और फिर देश और दुनिया भर के दूसरे बंदरगाहों पर उतार दिया जाता है।

#### ADDRESS:





## विड्मिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना क्या है?

- विड्मिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना 7,600 करोड रुपये की ट्रांसशिपमेंट डीपवॉटर बहुउद्देशीय बंदरगाह परियोजना है जो अदानी पोर्ट्स और एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) मॉडल पर बनाई जा रही है।
- इस परियोजना के दशकों से पाइपलाइन में रहने के उपरांत 2015 में केरल की कांग्रेस सरकार ने आखिरकार अदानी समूह के साथ एक समझौता किया।
- इसे कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, बहुउद्देशीय और ब्रेक-बल्क कार्गो की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसके कारण विदेशी गंतव्यों तक कंटेनरों की आवाजाही की लागत कम होने की संभावना है। औद्योगिक गलियारे और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा, इस परियोजना से 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

## विड्मिंजम परियोजना की क्या विशेषताएं हैं?

- तिरुवनंतपुरम के पास स्थित, विड्मिंजम पोर्ट भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा, जिसकी प्राकृतिक गहराई 18 मीटर से अधिक

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



है, जिसे 20 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जो बड़े जहाजों और मातृ जहाजों के बंदरगाह तक आने के लिए महत्वपूर्ण है।

- यह बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। अन्य विशेषताओं में तट के किनारे न्यूनतम तटीय बहाव और किसी भी रखरखाव ड्रेजिंग की वस्तुतः कोई आवश्यकता नहीं है।
- इस बंदरगाह से ट्रांस-शिपमेंट ट्रैफिक के लिए कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है। इससे विदेशी गंतव्यों से कंटेनरों की आवाजाही की लागत में कमी आने की उम्मीद है।

### भारत को कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की आवश्यकता क्यों है?


- उल्लेखनीय है कि भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। हालांकि, देश में अल्ट्रा-बड़े कंटेनर जहाजों से निपटने के लिए लैंडसाइड मेगा-पोर्ट और टर्मिनल बुनियादी ढांचे का अभाव है।
- इसलिए, भारत का लगभग 75 प्रतिशत ट्रांसशिपमेंट कार्गो भारत के बाहर के बंदरगाहों, मुख्य रूप से कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग में संभाला जाता है।

#### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- वित्तीय वर्ष 2021-22 में, भारत का कुल ट्रांसशिपमेंट कार्गो लगभग 4.6 मिलियन TEU था, जिसमें से लगभग 4.2 मिलियन TEU भारत के बाहर संभाला गया था।
- इस बंदरगाह को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने से कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे जैसे विदेशी मुद्रा बचत, अन्य भारतीय बंदरगाहों पर आर्थिक गतिविधि में वृद्धि, लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे से संबंधित विकास और रोजगार सृजन।
- यह भारत के आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित कर सकता है और रोजगार के अपार अवसर खोल सकता है।



**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## 'शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद' को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा विधेयक पेश:

### मामला क्या है?

- शहरी इलाकों में नक्सली संगठनों के ज़रिए "नक्सलवाद के बढ़ते खतरे" को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 11 जुलाई को महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 पेश किया।



- यह विधेयक राज्य को किसी संगठन को "गैरकानूनी" घोषित करने का अधिकार देता है। साथ ही महाराष्ट्र में "माओवादी नेटवर्क के सुरक्षित ठिकानों और शहरी ठिकानों" का हवाला देते हुए, इसमें कहा गया है कि ऐसे समूह "संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अपनी विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं"।

### महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 के उद्देश्य:

- इस विधेयक के अनुसार नक्सलवाद का खतरा केवल नक्सल प्रभावित राज्यों के दूरदराज के इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फ्रंटल नक्सली संगठनों के

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



माध्यम से शहरी इलाकों में भी इसकी मौजूदगी बढ़ रही है। नक्सली समूहों के सक्रिय फ्रंटल संगठनों के प्रसार से उनके सशस्त्र कैडरों को रसद और सुरक्षित शरण के मामले में निरंतर और प्रभावी सहायता मिलती है।

- उल्लेखनीय है कि नक्सलियों के जब्त साहित्य से पता चलता है कि महाराष्ट्र राज्य के शहरों में माओवादी नेटवर्क के 'सुरक्षित घर' और 'शहरी ठिकाने' हैं। नक्सली संगठन या उनके जैसे अन्य संगठनों की गतिविधियां उनके संयुक्त मोर्चे के (TUF) माध्यम से आम जनता के बीच अशांति पैदा कर रही हैं, ताकि संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अपनी विचारधारा का प्रचार किया जा सके और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया जा सके।

### महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 के प्रमुख प्रावधान:

- यह विधेयक "गैरकानूनी गतिविधि" को इस प्रकार परिभाषित करता है कि यह ऐसी गतिविधि है जो सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और सौहार्द के लिए खतरा या खतरा पैदा करती है; सार्वजनिक व्यवस्था, "कानून या उसके स्थापित संस्थानों और कर्मियों के प्रशासन" के रखरखाव में हस्तक्षेप करती है; किसी भी लोक सेवक पर आपराधिक बल दिखाने के लिए बनाई गई है; हिंसा, बर्बरता, आग्नेयास्त्रों,

#### ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



विस्फोटकों का उपयोग या रेल, सड़क, वायु या जल द्वारा संचार को बाधित करने के कृत्यों में लिप्त या प्रचारित करना; स्थापित कानून और उसके संस्थानों की अवज्ञा को प्रोत्साहित करना या प्रचार करना; गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन या सामान इकट्ठा करना।

- यदि किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित किया गया है, तो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त किसी भी स्थान को अधिसूचित कर सकते हैं और उस पर "कब्जा कर सकते हैं" जिसका उपयोग "उसकी गतिविधियों के लिए किया जाता है"। इसमें चल संपत्ति शामिल हो सकती है "जिसमें धन, प्रतिभूतियाँ या अन्य संपत्तियाँ पाई जाती हैं।
- इसमें यह भी कहा गया है कि "जहां सरकार ऐसी जांच के बाद संतुष्ट हो जाती है, जैसा कि वह उचित समझे, कि किसी भी धन, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति का उपयोग किसी गैरकानूनी संगठन के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है या किया जाना है, तो सरकार... ऐसे धन, प्रतिभूतियाँ या अन्य संपत्ति... को सरकार के लिए जब्त घोषित कर सकती है।
- इसमें कहा गया है कि सरकार की कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है।

**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- इस विधेयक में कहा गया है कि इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे, और इनकी जांच उप-निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।

### अपराधों के लिए निर्दिष्ट दंड:

- जो कोई भी किसी गैरकानूनी संगठन का सदस्य है या किसी ऐसे संगठन की बैठकों या गतिविधियों में भाग लेता है या किसी ऐसे संगठन के उद्देश्य के लिए कोई योगदान देता है या प्राप्त करता है या किसी योगदान की मांग करता है, उसे तीन साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा।
- जो कोई भी, किसी भी तरह से किसी गैरकानूनी संगठन का सदस्य न होते हुए भी, ऐसे संगठन के लिए कोई योगदान देता है या प्राप्त करता है या किसी योगदान या सहायता की मांग करता है या ऐसे संगठन के किसी सदस्य को शरण देता है, उसे दो साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा।

#### ADDRESS:



- जो कोई भी ऐसे गैरकानूनी संगठन की किसी गैरकानूनी गतिविधि को अंजाम देता है या उकसाता है या करने का प्रयास करता है या करने की योजना बनाता है, उसे सात साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा।

### नक्सलवाद या माओवाद क्या है?

- माओवाद या नक्सलवाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला, वामपंथी विचारधारा वाला, सशस्त्र हिंसक संघर्ष है जो भारत के पूर्वी राज्यों के अति पिछड़े क्षेत्रों में अल्प विकास एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वंचना के कारण पनपा है।
- वामपंथ उग्रवादी, माओ-त्से-तुंग की विचारधारा को अपनाकर, भारत की संसदीय एवं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के विपरीत एक नवीन साम्यवादी शासन प्रणाली को अपनाने की बात करते हैं।

### नक्सलवाद का घोषित उद्देश्य क्या है?

- दीर्घकालीन, सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर वैकल्पिक राज्य संरचना के रूप में 'नव जन लोकतंत्र' की स्थापना करना है। इस क्रम में

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)





**VAJIRAO & REDDY INSTITUTE**

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050

+918988886060

[www.vajiraoinstitute.com](http://www.vajiraoinstitute.com)

[info@vajiraoinstitute.com](mailto:info@vajiraoinstitute.com)

नक्सलवाद भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विरोध करता है एवं इसे छलावा मानता है।

- इस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के प्रति स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने हेतु नक्सलवादी लोगों के अधिकारों (जल, जंगल और जमीन) के लिए आंदोलन चलाते हैं एवं जन अदालत द्वारा पीड़ितों को न्याय प्रदान करते हैं।



**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



## MCQs

1. चर्चा में रहे 'अपर सियांग' जलविद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है।
2. इस परियोजना से जुड़ी परियोजनाओं के द्वारा कुल नौ अरब क्यूबिक मीटर पानी की स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

**Ans. (c)**



2. अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 30 किमी दूर मेडोग में यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन ने कितनी क्षमता के जल विद्युत परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है?

- (a) 11,000 मेगावाट
- (b) 18,326 मेगावाट
- (c) 47000 मेगावाट
- (d) 60,000 मेगावाट

**Ans. (d)**

3. चर्चा में रहे "विङ्गिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. विङ्गिंजम पोर्ट भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा
2. विङ्गिंजम पोर्ट के पास पानी की प्राकृतिक गहराई 28 मीटर से अधिक है जो इसे एक आदर्श डीप वाटर पोर्ट बनाता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

ADDRESS:



- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

**Ans. (a)**

4. विडिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना, जो 7,600 करोड़ रुपये की एक ट्रांसशिपमेंट डीपवॉटर बहुउद्देशीय बंदरगाह परियोजना है, को DBFOT आधार पर किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है ?

- (a) लार्सन एंड टुब्रो द्वारा
- (b) अदानी पोर्ट्स
- (c) वैजाग पोर्ट ट्रस्ट द्वारा
- (d) धर्मा पोर्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा

**Ans. (b)**

**ADDRESS:**

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



5. चर्चा में रहे 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह किसी राज्य द्वारा 'शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद' की चुनौती से लड़ने के लिए लाया पहला विधेयक है।
2. यह विधेयक राज्य सरकार को किसी संगठन को "गैरकानूनी" घोषित करने का अधिकार देता है और इस फैसले के खिलाफ केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

**Ans. (a)**